



ई-मेल : admncejpr1@gmail.com

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर आयुक्तालय एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER, CENTRAL GOODS & SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, JAIPUR
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-05
N.C.R. BUILDING, STATUE CIRCLE, 'C' SCHEME, JAIPUR-05

कार्यालय आदेश-08 / 2022

दिनांक : 31.05.2022

महानिदेशक, करदाता सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के पत्र फा. सं. DGTS/Misc/31/ 2021-Publicity O/o ADG-II-DGTS-HQ- Delhi/930-967 दिनांक 24.05.2022 एवं संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी (जयपुर जोन), जयपुर के पत्र फा. सं. GCCO/II/22/ OTH/120/2021-Admn दिनांक 25.05.2022 का संदर्भ लेते, जिसके अनुसार दिनांक 06.06.2022 से दिनांक 12.06.2022 तक ICONIC Week का आयोजन किया जाना है एवं इस सप्ताह के दौरान आयोजित किये जाने वाले CBIC-AKAM Events कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु प्रधान आयुक्त महोदय के अनुमोदन पश्चात निम्नानुसार समितियां बनाई गई हैं-

1. Digital Exhibition is being organized at New Delhi and Jaipur will be connected digitally to the event venue, Vigyan Bhawan, New Delhi to enable two-way live feed on 06.06.2022 (Forenoon).

1. Hall Committee (for Decoration of Hall, Sitting arrangement, Hiring of equipment, Stage Preparation, Banner/Backdrop display etc.)

- श्री मुकेश कटारिया, संयुक्त आयुक्त
- श्री निशांत तोमर, उपायुक्त
- श्री अरविंद कुमार शर्मा, अधीक्षक
- श्री प्रमोद कुमार बंसल, अधीक्षक
- श्री देवेश कुमार शर्मा, निरीक्षक
- श्री अनिल कुमार शर्मा, निरीक्षक
- श्री मानसिंह गुर्जर, कर सहायक

2. Invitation Committee (for invitation of senior most officers of the department of CBDT, CBIC and DFS are to be invited to attend the event. Invitations are to be extended to the general public, elected representatives of trade bodies, Press/ Media and other stakeholders such as prominent Banks, Insurance Companies, Financial Institutions, Public Sector Undertakings etc.)

- श्री मंजूर अली अंसारी, अपर आयुक्त
- श्री निशांत तोमर, उपायुक्त
- श्री अशोक कुमार मीना, सहायक आयुक्त
- श्री सुधीर शर्मा, अधीक्षक
- श्री आर. के. जैन, अधीक्षक
- श्री जगदीश तंवर, अधीक्षक
- श्री संदीप कुमार ओला, निरीक्षक
- श्री आकाश अटोलिया, निरीक्षक

3. Press/media Committee (for advertising/maximum publicity in the media, Standard leaflets of the "Azadi ka Amrit Mahotsav" for wide distribution, Press/media briefing of the event etc.)

- श्री मंजूर अली अंसारी, अपर आयुक्त
- सुश्री निष्ठा शर्मा, उपायुक्त
- श्री मनोज कुमार सैली, सहायक आयुक्त
- श्री अजय कुमार ओझा, अधीक्षक
- श्री धीरज बंगाली, अधीक्षक
- श्री उमा शंकर शर्मा, अधीक्षक
- श्री मनोज कुमार, अधीक्षक
- श्री हनुमान राम मुण्डेल, अधीक्षक
- श्री डी.डी. शर्मा, अधीक्षक
- श्री राम स्नेही जाट, निरीक्षक
- श्री दीपक कुमार गुप्ता, निरीक्षक

4. Refreshment/High Tea Committee

- श्री मुकेश कटारिया, संयुक्त आयुक्त
- श्री मनोज कुमार सैली, सहायक आयुक्त
- श्री अरविंद कुमार शर्मा, अधीक्षक
- श्री जगदीश नारायण मीना, प्रशासनिक अधिकारी
- श्री राम निवास यादव, निरीक्षक
- श्री अनिल कुमार शर्मा, निरीक्षक
- श्री प्रदीप भूरिया, कर सहायक

2. 'Stage Shows, Nukkad Natak' may be organized on 06.06.2022 (1600 hrs. onwards)

- श्री अरविंद कुमार शर्मा, अधीक्षक
- श्री डी.डी. शर्मा, अधीक्षक
- सुश्री नीता शुक्ला, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
- श्री अशोक कुमार बिरानीया, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
- श्री मानसिंह गुर्जर, कर सहायक

3. "Painting Competition for Students and Slogan Writing Competition" on 10.06.2022 (1100 hrs onwards)

- श्री अरविंद कुमार शर्मा, अधीक्षक
- श्री जगदीश नारायण मीना, प्रशासनिक अधिकारी
- सुश्री नीता शुक्ला, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
- श्री अशोक कुमार बिरानीया, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
- श्री मानसिंह गुर्जर, कर सहायक

—३०—

(मुकेश कटारिया)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

दिनांक : 31.05.2022

फा0 सं0 1-22(58)प्रशा/जेपीआर/2017/पार्ट 1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. उप/सहायक आयुक्त, सीजीएसटी संभाग- 'ए' से 'आई' - जयपुर/'जे' से 'के' - अजमेर।
3. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सीजीएसटी, जयपुर - विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. समिति सदस्य/निजी प्रति.....।
5. नोटिस बोर्ड ।

31/05/22

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)